न्यूज़ ब्रीफ

जनसुनवाई में 92 आवेदनों पर हुई सुनवाई

नर्मदापुरम। कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिला पंचायत सीईओ श्री हिमांशु जैन की अध्यक्षता मे जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें सीईओ श्री जैन ने अधिकारियों के साथ जनसामान्य की समस्याओं पर गंभीरता से सुनवाई की गई। जनसुनवाई में आए 92 आवेदनों पर सुनवाई कर उनका निराकरण किया। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को प्राप्त आवेदनों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। मंगलवार को जनसुनवाई में आए ग्राम कुकड़ी तहसील इटारसी निवासी फौजदार खान ने अपनी कृषि भूमि का दोबारा सीमांकन कर नक्शा सुधार कराने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया।

इटारसी परियोजना में 'विद्यारंभ' कार्यक्रम उत्साहपूर्वक संपन्न

नर्मदापुरम। जिला कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना के मार्गदर्शन में महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत परियोजना इटारसी के समस्त आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से विद्यारंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम 5 से 6 वर्ष आयु वर्ग के उन बच्चों के लिए आयोजित किया गया, जो आगामी शैक्षणिक सत्र में प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश लेने जा रहे हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा से औपचारिक विद्यालयी शिक्षा की ओर सहज रूप से जोड़ना, उनमें शिक्षा के प्रति रुचि विकसित करना तथा अभिभावकों को जागरूक करना रहा। इस अवसर पर केंद्र क्रमांक 69 (सेक्टर-5) एवं केंद्र क्रमांक 45 (सेक्टर-4) सहित विभिन्न केंद्रों पर बच्चों का पारंपरिक रूप से तिलक लगाकर एवं पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास संभागीय संयुक्त संचालक श्रीमती तृप्ति त्रिपाठी, जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री ललित डहरिया, प्रोजेक्ट कॉर्डिनेटर (ECD) हर्षिता यादव, डॉ. अनुकृति (फिजियोलॉजिस्ट, भोपाल), डॉ. वंदना शुक्ला (डिस्ट्रिक्ट कॉर्डिनेटर, नर्मदापुरम), इशिता गर्ग (रिसर्च सेंटर), आदर्श मिश्रा, दिशा दुबे (सुपरवाइजर), नगर पालिका अध्यक्ष श्री पंकज चौरे, श्रीमती निधि चौरे, पार्षद मंजीत कालोशिया, पार्षद श्रीमती गीता पटेल, जल सभापति, महिला एवं बाल विकास सभापति नाजिया बेगम एवं पार्षद श्री कुंदन गौर सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

मदिरा दुकानों का ई-टेंडर द्वारा आठवां चरण का निष्पादन कार्यक्रम जारी

नरसिहंपुर। मध्यप्रदेश शासन की वर्ष 2026-27 के लिए आबकारी नीति के अनुसार सर्वसाधारण की जानकारी एवं आबकारी के फुटकर ठेकेदारों की विशेष जानकारी के लिए आबकारी नीति के प्रावधानों के अनुरूप जिले में निष्पादन के सातवें चरण तक निष्पादन से शेष रही 10 मदिरा दुकानों का निष्पादन पुनर्गठित 5 समूहों एवं पृथक-पृथक 10 मदिरा दुकानों के रूप में संयुक्त रूप से आठवें चरण में एक अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक की अवधि के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला निष्पादन समिति द्वारा ई-टेंडर (ई-टेंडर एवं ई-टेंडर कम ऑक्शन) के माध्यम से कलेक्ट्रेट नरसिंह भवन नरसिंहपुर में किया जाएगा। जिले की समस्त मदिरा दुकानें कम्पोजिट शॉप होंगी अर्थात मदिरा दुकानों पर देशी एवं विदेशी दोनों प्रकार की मदिरा विक्रय के लिए उपलब्ध रहेगी। किसी भी मदिरा दुकान पर बैठकर मदिरा पीने की सुविधा नहीं होगी। वर्ष 2026-27 के लिए मदिरा दुकानों/ समूहों के निष्पादन की प्रक्रिया ई-टेंडर (ई-टेंडर एवं ई-टेंडर कम ऑक्शन) में भाग लेने के लिए समस्त प्रकार के आवेदकों (व्यक्ति/ सोल प्रोपराइटर/ कम्पनी/ फर्म/ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप-एलएलपी/ कंसोर्टियम आदि) को ई-आबकारी पोर्टल https://eaabkari.mp.gov.in पर कांट्रेक्टर रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल के अंतर्गत पंजीयन एवं अनुमोदन कराना अनिवार्य होगा। वर्तमान अनुज्ञप्तिधारी अथवा पूर्व वर्ष में कांट्रेक्टर रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल पर पंजीकरण कर चुके आवेदकों को भी वर्ष 2026-27 के लिए पुनः पंजीकरण करना अनिवार्य है।

जिला स्तरीय बीज सखी उन्मुखीकरण कार्यशाला संपन्न

नर्मदापुरम। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जिला पंचायत नर्मदापुरम अंतर्गत स्थानीय जैव विविधता और देशी बीजों के संरक्षण के लिए गत दिवस जिला स्तरीय परंपरागत बीज संरक्षण एवं बीज सखी उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में सीईओ जिला पंचायत नर्मदापुरम श्री हिमांशु जैन ने सभी बीज सखियों को उनके नए दायित्व के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रशिक्षण में सीखे गए कार्यों को केवल कागजों तक सीमित न रखें, बल्कि पूरी गंभीरता के साथ जमीनी स्तर (धरातल) पर उतारें। प्रशिक्षण जिला प्रबंधक कृषि आदित्य शर्मा और मास्टर ट्रेनर कृषि सखी, सरिता दामले द्वारा दिया गया। कृषि विभाग एवं स्वयंसेवी संगठनों के विशेषज्ञों ने भी बीज बैंक स्थापना और बीजों के संरक्षण पर अपना मार्गदर्शन दिया। विशेषज्ञों ने प्रशिक्षण में सखियों द्वारा गांवों से लाए गए पारंपरिक देशी बीजों के नमूनों पर भी विस्तृत चर्चा की।

दुर्घटना के बाद गोल्डन ऑवर के पीड़ितों को अस्पताल पहुचाने पर होंगे पुरस्कृत कहलाएंगे राहवीर

सड़क हादसों में घायलों की करें त्वरित मदद : कलेक्टर सोनिया मीना

पीपुल्स प्रवक्ता, नर्मदापुरम।

मध्य प्रदेश शासन द्वारा मोटर वाहन से जुड़ी गंभीर दुर्घटना के पीड़ित को तत्काल सहायता प्रदान करके और दुर्घटना के बाद महत्वपूर्ण गोल्डन आवर के भीतर चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए अस्पताल या ट्रॉमा सेंटर पहुंचाकर पीड़ित की जान बचाने वाले को राहवीर योजना के तहत पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना ने जिले वासियों से अपील की है कि योजना के तहत घायलों की सहायता करें तथा महत्वपूर्ण समय में उन्हें अस्पताल पहुंचाकर उनकी जान बचाए। इस प्रक्रिया के दौरान सहयता करने वाले व्यक्ति को किसी भी प्रकार की पुलिस कार्यवाही का सामना नहीं करना पड़ेगा। सहायता करने वाले व्यक्ति को योजना के तहत पुरुस्कृत भी किया जायेगा। योजना का उद्देश्य आम जनता को नकद पुरस्कार और प्रमाण पत्र के माध्यम से आपातकालीन स्थिति में सड़क दुर्घटना के पीड़ितों की मदद करने और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए प्रेरित करना है। इसके साथ ही सड़क दुर्घटना के पीड़ितों की जान बचाने के लिए दूसरों को भी प्रेरित और प्रोत्साहित करना है। योजना के तहत कोई भी व्यक्ति जिसने मोटर वाहन से जुड़ी किसी गंभीर दुर्घटना के पीड़ित को तत्काल सहायता प्रदान करके तथा दुर्घटना के बाद गोल्डन ऑवर के भीतर अस्पताल पहुंचकर चिकित्सा उपचार प्रदान करके उसकी जान बचाई हो वह पात्र होगा जिसे जिला स्तर पर मूल्यांकन के पश्चात इनाम प्रदान किया जाएगा। मोटर यान अधिनियम की धारा 2 (12क) के अनुसार ÷गोल्डन ऑवर÷ का तात्पर्य किसी गंभीर चोट के बाद एक घंटे की वह अवधि, जिसके दौरान शीघ्र चिकित्सा देखभाल प्रदान करके जीवन बचाने की सबसे अधिक संभावना होती है। गंभीर दुर्घटनाः मोटर वाहन से जुड़ी कोई भी सड़क दुर्घटना जिसके परिणामस्वरूप पीड़ित को उपचार के दौरान निम्नलिखित में से कोई भी स्थिति उत्पन्न हुई हो और अस्पताल द्वारा मृत्यु/गंभीर स्थिति का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो। बड़ी सर्जरी होना, कम से कम तीन दिन अस्पताल में भर्ती रहना, मस्तिष्क की चोटें, रीढ़ की हड्डी की चोटें, उपचार के दौरान पीड़ित की मृत्यु। वित्तीय पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र- प्रत्येक राह-वीर (गुड समेरिटन) के लिए पुरस्कार राशि प्रति घटना 25,000/- रुपये होगी, जो निम्नलिखित प्रावधानों के अधीन होगी। यदि एक राह-वीर मोटर वाहन से जुड़ी एक गंभीर दुर्घटना में एक या अधिक पीड़ितों की जान बचाता है, तो पुरस्कार राशि 25,000/- रुपये मात्र होगी। यदि एक से अधिक राह-वीर (गुड समेरिटन) मोटर वाहन से जुड़ी किसी गंभीर दुर्घटना में एक पीड़ित की जान बचाते हैं, तो पुरस्कार राशि 25,000/- रुपये उनके बीच बराबर-बराबर बाँटी जाएगी। यदि एक से अधिक राह-वीर (गुड समेटिटन) मोटर वाहन से जुड़ी किसी गंभीर दुर्घटना में एक से अधिक पीड़ितों की जान बचाते हैं, तो पुरस्कार राशि प्रति बचाए गए पीड़ित व्यक्ति के लिए 25,000/- रुपये होगी, जो प्रति राह-वीर अधिकतम 25,000/- रुपये होगी। प्रत्येक पुरस्कार के साथ एक सराहना प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। राहवीर योजना के तहत, अस्पताल/पुलिस स्टेशन राह-वीर को अनावश्यक रूप से रोक कर नहीं रख सकते। घायल होने के पहले महत्वपूर्ण घंटे यानी गोल्डन ऑवर में पीड़ित के बचने की संभावना बढ़ाने के लिए आसपास के लोगों की सहायता ज़रूरी है।

जिला स्तरीय सेवोत्तम प्रशिक्षण का शुभारंभ

नर्मदापुरम। नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (DARP), नई दिल्ली एवं आरसीवीपी नरोन्हा अकादमी, भोपाल के सहयोग से सेवोत्तम प्रकोष्ठ के अंतर्गत दो दिवसीय जिला स्तरीय सेवोत्तम प्रशिक्षण का आयोजन 24 एवं 25 मार्च 2026 को किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण ई-दक्ष केंद्र, जनपद पंचायत नर्मदापुरम के पास आयोजित किया गया है। प्रशिक्षण के प्रथम दिवस श्री आनंद झैरवार, जिला प्रबंधक द्वारा प्रतिभागियों को सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के त्वरित निराकरण, मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010, समाधान एक दिवस सेवाएं एवं CPGRAM के अंतर्गत शिकायत निवारण की प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। प्रशिक्षण में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन, विकासखंड चिकित्सा अधिकारी, सभी तहसीलदार, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी (खाद्य) सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

डिजल पेट्रोल पंप पर अफवाह का बड़ा असर देखने को मिला

श्री राम पेट्रोल पंप पर डीजल पेट्रोल के लिए उमड़ी भीड़, पुलिस ने संभाली स्थिति

यशवंत मेवाडे
पीपुल्स प्रवक्ता, खिलचीपुर।

नगर में बुधवार को एक पेट्रोल पंप पर अचानक ऐसी स्थिति बन गई, जिसने पूरे इलाके में माहौल बदल दिया। सुबह से ही पेट्रोल-डीजल भरवाने के लिए लोगों की भीड़ बढ़ने लगी, जो देखते ही देखते लंबी कतारों में बदल गई। स्थिति उस समय और गंभीर हो गई, जब कई लोग अपने वाहनों के अलावा कैन और डिब्बों में भी पेट्रोल-डीजल भरवाने पहुंचने लगे। पंप परिसर में अफरा-तफरी जैसे हालात बन गए और आम लोगों को काफी देर तक अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार, ईंधन की कमी को लेकर अचानक फैली अफवाहों ने इस भीड़ को और बढ़ा दिया। कहीं पेट्रोल खत्म न हो जाए की आशंका में लोग जल्द से जल्द ईंधन लेने के लिए राजगढ़ रोड श्री राम पेट्रोल पंप की ओर दौड़ पड़े। भीड़ बढ़ने की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित करने में जुट गया। इसी प्रकार बस स्टैंड के पास एच पी पर देखने को मिली। जहां पुलिसकर्मियों ने लाइन व्यवस्थित करवाई। इसी बीच मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारीयों में एसडीम अंकिता जैन, तहसीलदार विनय गोयल, एसडीओपी, टी उमाशंकर मुकाती, और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। इस प्रशासक एसडीएम अंकिता जैन ने स्पष्ट किया है कि खिलचीपुर में सहित जिले में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। अधिकारियों के अनुसार किसी भी प्रकार की कमी नहीं है और सप्लाई सामान्य रूप से जारी रहेगी। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें और घबराहट में अतिरिक्त ईंधन संग्रह करने से बचें। ऐसा करने से न सिर्फ अनावश्यक भीड़ बढ़ती है बल्कि अन्य लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

शासकीय कुसुम महाविद्यालय में एनएसएस 'बी' प्रमाण पत्र परीक्षा संपन्न, 70 स्वयंसेवक शामिल

पीपुल्स प्रवक्ता, सिवनी मालवा।

शासकीय कुसुम स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सिवनी मालवा (जिला नर्मदापुरम) में राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के अंतर्गत 'बी' प्रमाण पत्र परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हुई। परीक्षा में महाविद्यालय के लगभग 70 स्वयंसेवकों ने सहभागिता की। यह परीक्षा प्राचार्य डॉ. राजेश कुमार रघुवंशी के मार्गदर्शन में आयोजित की गई। कार्यक्रम अधिकारी डॉ. मोहन सिंह गुर्जर ने जानकारी देते हुए बताया कि परीक्षा में बाह्य परीक्षक के रूप में डॉ. उमेश धुर्वे, प्राचार्य शासकीय कन्या महाविद्यालय सिवनी मालवा एवं सुश्री आकांक्षा पांडे, कार्यक्रम अधिकारी शासकीय कन्या महाविद्यालय सिवनी मालवा उपस्थित रहीं। उन्होंने बताया कि 'बी' प्रमाण पत्र परीक्षा का उद्देश्य स्वयंसेवकों द्वारा दो वर्षों में किए गए सामाजिक सेवा कार्यों, सामुदायिक सहभागिता, राष्ट्रीय एकता, स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण तथा जन-जागरूकता कार्यक्रमों से संबंधित ज्ञान एवं अनुभव का मूल्यांकन करना है। यह प्रमाण पत्र विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को सुदृढ़ करता है। इस अवसर पर महाविद्यालय के श्री कमल सिंह अहिरवार, श्रीमती विजयश्री मालवीय, श्री प्रेम नारायण परते, श्री तनय, डॉ. रश्मि सोनी, डॉ. निधि छिपा, डॉ. प्रीति गुप्ता, डॉ. कैलाश विश्वकर्मा, डॉ. रेखा पटेल, श्री कैलाश गढ़वाल, श्री सोमेश कुमार राठौर, श्री अभिषेक गोलाईत, श्री गौरव बिलथरिया सहित अन्य स्टाफ एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन सुव्यवस्थित एवं सफल आयोजन के साथ हुआ।

सोमलवाड़ा में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जल स्रोत एवं वृक्ष पूजन, संगोष्ठी आयोजित

पीपुल्स प्रवक्ता, सिवनी मालवा।

मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत चल रहे जल गंगा संवर्धन अभियान 2026 के तहत विकासखंड सिवनी मालवा के सेक्टर क्रमांक 04 मालापाट स्थित ग्राम पंचायत सोमलवाड़ा में जल स्रोत पूजन, वृक्ष पूजन एवं जल संगोष्ठी का आयोजन बुधवार को किया गया। कार्यक्रम का आयोजन नवांकुर संस्था जीवनदायनी समाज सेवा समिति गाजनपुर के अध्यक्ष सुनील सिंगोरिया के निर्देशन में किया गया। इस अवसर पर सेक्टर परामर्शदाता सेवनदास लौवंशी, समिति की संयुक्त सचिव काजल रघुवंशी, ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति सोमलवाड़ा के अध्यक्ष संदीप गौर सहित ग्रामवासियों की सक्रिय सहभागिता रही। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों के सहयोग से जल स्रोतों एवं आसपास के क्षेत्रों की साफ-सफाई की गई तथा विधिवत जल स्रोत और वृक्ष पूजन किया गया। इसके पश्चात आयोजित जल संगोष्ठी में सेवनदास लौवंशी ने जल स्रोतों के संरक्षण की आवश्यकता पर जोर देते हुए जल बचाने के विभिन्न उपायों की जानकारी दी। वहीं काजल रघुवंशी ने समिति सदस्यों को जनभागीदारी के माध्यम से कार्य करने की प्रक्रिया समझाई और सामूहिक प्रयासों की महत्ता बताई। कार्यक्रम के अंत में ग्रामवासियों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करने हेतु भविष्य में भी ऐसे प्रेरणादायक आयोजन निरंतर जारी रखने का संकल्प लिया गया। इस आयोजन ने ग्रामीणों में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सकारात्मक संदेश दिया।

अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीयन प्रारंभ, 1 अप्रैल तक कर सकेंगे आवेदन

पीपुल्स प्रवक्ता, नर्मदापुरम।

सेना भर्ती कार्यालय, भोपाल द्वारा अग्निवीर भर्ती योजना के अंतर्गत युवाओं के लिए भारतीय सेना में शामिल होकर देश सेवा करने का सुनहरा अवसर प्रदान किया जा रहा है। इस संबंध में सांसद कार्यालय नर्मदापुरम में उक?त जानकारी दी गई। सेना भर्ती कार्यालय, भोपाल के सूबेदार मेजर जोगेन्दर सिंह ने बताया कि अग्निवीर योजना के तहत ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया 1 अप्रैल 2026 तक जारी रहेगी। इच्छुक युवा भारतीय सेना में भर्ती के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन परीक्षा की संभावित तिथि 1 जून से 15 जून 2026 के मध्य निर्धारित की गई है। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय सेना की चयन प्रक्रिया पूर्णतः निष्पक्ष, पारदर्शी एवं योग्यता आधारित होती है। भर्ती के किसी भी चरण में रिश्वत या सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने युवाओं को भर्ती एजेंट बनकर ठगी करने वाले असामाजिक तत्वों से सतर्क रहने की सलाह दी। अग्निवीर भर्ती के अंतर्गत सामान्य ड्यूटी, तकनीकी, क्लर्क एवं स्टोर कीपर तथा ट्रेड्समेन के पदों पर भर्ती की जाएगी। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। भर्ती संबंधी अधिक जानकारी के लिए सेना भर्ती कार्यालय, भोपाल के दूरभाष नंबर 0755-2539948 अथवा 9039018588 पर संपर्क किया जा सकता है। सांसद कार्यालय नर्मदापुरम में सेना भर्ती कार्यालय, भोपाल के मेजर प्रमोद कुमार, सूबेदार मेजर जोगेन्दर सिंह, हवलदार सचिन कुमार उपस्थित रहे।

खेत में पानी के विवाद ने लिया हत्या का रूप

नरसिंहपुर पुलिस की त्वरित कार्यवाही में आरोपियों को चंद घंटों में लिया गया अभिरक्षा में

पीपुल्स प्रवक्ता, नरसिंहपुर।

पूर्व से चले आ रहे जमीनी विवाद एवं खेत में पानी जाने की बात को लेकर विवाद हुआ। अवैध देशी कट्टे से गोली मारकर की गई हत्या। घटना को अंजाम देकर आरोपी हुए फरार, पुलिस की त्वरित कार्यवाही में चंद घंटों में अभिरक्षा में लिए गए।दिनांक 25.03.2026 को डायल-112 पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम डूडीपिडरई के एक खेत में गोली चलने की घटना हुई है। सूचना पर पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची, जहां एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा हुआ मिला। घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी तत्काल मौके पर पहुंचे एवं आवश्यक पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान रामकुमार उर्फ सचिन पटेल द्वारा बताया गया कि उसके खेत में पानी चल रहा था, इसी दौरान कुछ पानी बगल के खेत में चला गया था। उक्त खेत मृतक प्रेमनारायण के भाई द्वारा सिकवी (पट्टे/बटाई) पर लेकर खेती की जा रही है। पूर्व से चले आ रहे जमीनी विवाद एवं खेत में पानी जाने के विवाद के चलते की गई हत्या ¬ खेत में पानी जाने की बात को लेकर संदीप एवं उसका पिता लेखराम पटेल द्वारा मृतक प्रेमनारायण एवं रामकुमार उर्फ सचिन पटेल से विवाद किया गया तथा गाली-गलौज करते हुए वे अपने घर चले गए। कुछ समय पश्चात दोनों आरोपी पुनः मौके पर लौटे, जहां संदीप द्वारा मृतक प्रेमनारायण को देशी कट्टे से गोली मार दी गई, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। वहीं लेखराम द्वारा रामकुमार उर्फ सचिन पटेल के साथ लाठी से मारपीट की गई।

घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए थे : हत्या की घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए थे। आरोपियों की तलाश एवं गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक, डॉ. ऋषिकेश मीना द्वारा अति. पुलिस अधीक्षक, संदीप भूरिया के मार्गदर्शन में एवं एसडीओपी नरसिंहपुर, मनोज गुप्ता के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई तथा आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आवश्यक निर्देश प्रदान किए गए।

आरोपियों को चंद घंटे के अंदर लिया गया अभिरक्षा में : हत्या की घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए थे, जिनकी तलाश हेतु गठित पुलिस टीम द्वारा प्रभावी घेराबंदी की गई एवं आरोपियों के संबंध में आवश्यक जानकारियां एकत्रित की गईं। तत्पश्चात त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी लेखराम पटेल निवासी डूडीपिडरई को गोटेगांव रोड से तथा आरोपी संदीप पटेल निवासी डूडीपिडरई को खमतरा के पास से अभिरक्षा में लेने में सफलता प्राप्त हुई। हत्या की घटना को अंजाम देने वाले फरार आरोपियों की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी स्टेशनगंज, निरीक्षक सौरभ पटेल, उनि मुकेश विसेन, संजय सूर्यवेशी, प्रधान आरक्षक अनुराग, धर्मेन्द्र, आरक्षक नंदकिशोर की मुख्य भूमिका रही है।

स्वयं के खेत में जाने रास्ते की मांग के आवेदनों पर नहीं की जा रही कार्यवाही

नरसिंहपुर। शासन द्वारा राजस्व भूमियों के रिकार्ड में सुधार किए जाने के चलाये गये महीनों महीनों अभियानों के बाद भी आम आदमी अपने खेत में किये गये अतिक्रमण और खेत मे जाने के रास्ते के लिए तहसील और एसडीएम कार्यालय सहित जिले मुख्यालय की जनसुनवाई में लंबे समय तक आवेदन पर आवेदन देने के बाद भी उसकी सुनवाई न की जाए तो राजस्व विभाग के रिकार्ड दुरस्ती के अभियानों और विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाये जा सकते हैं । मामला तहसील गाडरवारा के अंतर्गत ग्राम छीतापार निवासी दुर्गाप्रसाद साहू आत्मज हीरालाल साहू के द्वारा कलेक्टर नरसिंहपुर की जनसुनवाई में दिये गये आवेदन से सामने आया है जिसके अनुसार आवेदक द्वारा उसके खेत पर जाने हेतु रास्ते की मांग की गयी थी जिस संबंध में आवेदक द्वारा नायब तहसीलदार गाडरवारा वृत्त सिहोरा / करपगांव के समक्ष आवेदन पूर्व में आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिस पर दिनांक 04.05.2022 को आदेश पारित किया गया है एवं आवेदन में आवेदक को अनावेदक रास्ते पर से निकलने से नहीं रोकेगा तथा आवेदक फसल की नुकसानी किये बिना रास्ते पर से निकल सकेगा। इसके बावजूद भी अनावेदक व उसके शिकमी काश्तकार द्वारा उस को खेत पर से नहीं निकलने दिया जा रहा है इसको लेकर आवेदक के द्वारा पूर्व में अनुविभागीय अधिकारी गाडरवारा के समक्ष दिनांक 04.03.2025 व 10.02.2025 को आवेदन दिया गया था तथा शिकमी काश्तकार के विरूद्ध लड़ाई झगडा से संबंधित आवेदन थाना प्रभारी करेली के समक्ष भी दिया था जिसपर कार्यवाही नहीं हुई।